19.6.2019 पत्रावली पेश श्री वकील प्रार्थीगण अभियुक्त अपार्थीगण को भेजे गये नोटिस की डाक रसीदें पूर्व में पेश है परन्तु ही अपार्थीगण को न्यायालय हाजा सदन में बार-बार पुकारे आवाजें लगवाई गई परन्तु न तो स्वयं एवं न ही इनकी ओर से वकील उपस्थित आये। लिहाजा अपार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आगे में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण श्री प्रदीप पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादमय एवं अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थीगण सीधे किया जाता है विद्युत मीटर अलग देकर अनुपयोगी लिखवाया जाकर आगामी मिल किया गया। मिलान उपरान्त उपरोक्त के अनुसार पारित होवे।

(राजलक्ष्मी गेहलोत)
उप खण्ड अधिकारी-दौसा